

तार : 'फूडकोर्प'
Gram : 'FOODCORP'
फैक्स नं: एचएफसीआई एन डी
Fax No.: HFCI ND

भारतीय
खाद्य
निगम



FOOD
CORPORATION
OF INDIA

मुख्यालय
नई दिल्ली
Head Quarters
New Delhi

00911123413241

00911143527433

16-20, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 011- 43527697, 43527698
16-20, BARAKHAMBA LANE, NEW DELHI - 110001, PHONE: 011-43527697, 43527698

सं. 1.12/फैप/इम्प्लीमेंटेशन/2013

दिनांक: 30.10.2013

परिपत्र सं. फैप/13/2013

विषय: आईओसीपीएफ ट्रांजेक्शंस की एकाउंटिंग ।

आपका ध्यान फाइल संख्या 1.12/(एकाउंट्स)/सीपीएफ इम्प्लीमेंटेशन/2011 से जारी दिनांक: 03.05.2011 के परिपत्र सं. सीपीएफ/05/2011 की ओर आकृष्ट कराया जाता है जिसके माध्यम से फैप द्वारा आईओसीपीएफ ट्रांजेक्शन की गणना के बारे में बताया गया था ।

2. चूंकि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस की प्रक्रिया परिपत्र संख्या फैप/01/2013 के माध्यम से बदल दी गई है, अतः यह आवश्यक है कि ट्रांजेक्शंस संशोधित आईओसीपीएफ प्रक्रिया के अनुरूप की जाए । तथापि, यह देखने में आया है कि फील्ड कार्यालय संशोधित एकाउंटिंग प्रक्रिया के अनुसार सीपीएफ ट्रांजेक्शंस की एकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं और ज्यादातर मामलों में फील्ड कार्यालयों ने आईओसीपीएफ ट्रांजेक्शंस फैप में एंटर नहीं की है ।

3. आईओसीपीएफ से संबंधित सभी ट्रांजेक्शंस की एंट्री फैप में की जानी आवश्यक है और आईओसीपीएफ से संबंधित जीरो एकाउंट्स का समेकन केवल फैप के द्वारा ही किया जाएगा । आईओसीपीएफ ट्रांजेक्शन एंटर करने के लिए फील्ड कार्यालयों द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए:-

(क) आंचलिक कार्यालय अथवा मुख्यालय को रेमिट किए जाने वाले अंशदान के लिए

(i) इनवॉयस भेजते समय पेट्रोल मॉड्यूल प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में निम्न प्रकार से एकाउंटिंग करेगा ।

सीपीएफ कार्पोरेशन का कांट्रीब्यूशन (लेखाशीर्ष 6201) नामे

एफपीएस को कांट्रीब्यूशन- कार्पोरेशन का कांट्रीब्यूशन (लेखाशीर्ष 6203) नामे

वेतन तथा भत्तों के लिए विविध लेनदार (लेखाशीर्ष 1402)-नामे (एम्पलाई कांट्रीब्यूशन के लिए)

सीपीएफ में कांट्रीब्यूशनके लिए देयता- कांट्रीब्यूशन (लेखाशीर्ष 1556) नामे
ईपीएस में कंट्रीब्यूशन के लिए देयता –कार्पोरेशन का कांट्रीब्यूशन (लेखा शीर्ष 1559)

- (ii) यूनिट कार्यालय जनरल लेजर एकाउंट बैलेंस का सत्यापन उपरोक्त सभी लेखा शीर्ष के लिए "डिटेल्ड ट्रायल बैलेंस मॉड्यूल" जीएल मॉड्यूल में, "पेबल्स एकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट" पेबल्स मॉड्यूल में तथा "एम्प्लायर ई-सेवा रिपोर्ट" से करें और यह सुनिश्चित करें कि इन रिपोर्टों के बैलेंस एक साथ टैली करें। इसकी पुष्टि होने पर, यूनिट कार्यालय आईओसीपीएफ ट्रांजेक्शंस के लिए निम्न एंट्री, "इंटरको आईओसीपीएफ" श्रेणी में जीएल मॉड्यूल में करें और आईओसीपीएफ के साथ एम्प्लायर ई-सेवा शेड्यूल आंचलिक कार्यालय/मुख्यालय को भिजवाएं।

सीपीएफ में कांट्रीब्यूशन के लिए यूनिट की देयता- कार्पोरेशन कांट्रीब्यूशन (लेखाशीर्ष 1556)
ईपीएस में कांट्रीब्यूशन के लिए यूनिट की देयता- कार्पोरेशन कांट्रीब्यूशन (लेखाशीर्ष 1559)

यूनिट आईओसीपीएफ- कांट्रीब्यूशन एकाउंट (लेखा शीर्ष 0941-इंटरको सेगमेंट ऑफ कन्सर्ड जोन)

- (iii) फील्ड कार्यालयों से आंचलिक कार्यालय/मुख्यालय में आईओसीपीएफ प्राप्त होने पर, "एम्प्लायर ई-सेवा रिपोर्ट" के साथ कांट्रीब्यूशन राशि सत्यापित और आंचलिक कार्यालय स्तर पर "सीपीएफ कंट्रोल रजिस्टर" में एंट्री देखने के बाद निम्न जनरल एंट्री "इंट्रो आईओसीपीएफ" श्रेणी जीएल मॉड्यूल में आंचलिक कार्यालय के खातों में पास करें।

जोन आईओसीपीएफ कांट्रीब्यूशन एकाउंट (लेखाशीर्ष 0941 यूनिट कार्यालयों के इंटरको सेगमेंट सहित) नामे

जोन सीपीएफ में कांट्रीब्यूशन के लिए देयता-कारपो कांट्रीब्यूशन (लेखा शीर्ष 1556)

ईपीएस में कांट्रीब्यूशन के लिए जोन की देयता- कार्पोरेशन कांट्रीब्यूशन (लेखा शीर्ष 1559)

- (iv) प्रत्येक एकाउंटिंग यूनिट से सभी आईओसीपीएफ प्राप्त होने के बाद आंचलिक कार्यालय ईपीएफ अंशदान के लिए देयता का भुगतान संबंधित आरपीएफसी को करेंगे जोकि लेखा शीर्ष 1559 को ध्यान में रखते हुए पेबल्स मॉड्यूल में पेबल्स इनवॉयस क्रिएट कर किया जाएगा। सीपीएफ अंशदान के लिए आंचलिक कार्यालय एक आईओसीपीएफ मुख्यालय को भिजवाएंगे और निम्न एंट्री "इंटरको सीपीएफ" श्रेणी जीएल मॉड्यूल में पास करेंगे ताकि अंशदान की समेकित राशि डाली जा सके।

सीपीएफ अंशदान के लिए जोन की देयता- निगम का अंशदान (लेखा शीर्ष 1556) नामे
जोन आईओसीपीएफ-अंशदान खाता (लेखा शीर्ष 0941 इंटरको सेगमेंट मुख्यालय सहित)

- (v) आंचलिक कार्यालयों से आईओसीपीएफ की प्राप्ति पर, मुख्यालय द्वारा आईओसीपीएफ का सत्यापन सीपीएफ कंट्रोल रजिस्टर से किया जाएगा और निम्न ट्रांजेंक्शन जीएल में "इंटरको आईओसीपीएफ" श्रेणी में की जाएगी ताकि अंशदान की समेकित राशि डाली जा सके।

मुख्यालय आईओसीपीएफ- अंशदान लेखा (लेखा शीर्ष 0941 जोन के इंटरको सेगमेंट सहित) नामे
सीपीएफ- अंशदान के लिए मुख्यालय की देयता- निगम का अंशदान (लेखा शीर्ष 1556)

- (vi) मुख्यालय द्वारा भारतीय खाद्य निगम सीपीएफ ट्रस्ट हेतु भुगतान की जाने वाली अंशदान की राशि के लिए पैयबल इनवॉयस बनाई जानी चाहिए जिसके लिए लेखा शीर्ष 1556 वितरण में बनाया जाए।
- (ख) अस्थायी अग्रिम/पार्ट फाइनल भुगतान तथा अंतिम भुगतान स्वीकृत करने के लिए।
- (i) अस्थायी अग्रिम/पार्ट फाइनल भुगतान तथा अंतिम भुगतान स्वीकृत करने से पूर्व आंचलिक कार्यालय सीपीएफ मॉड्यूल से संबंधित कर्मचारी की सीपीएफ स्लिप प्रिंट करेंगे और उस सीपीएफ स्लिप के आधार पर पूर्ण सत्यापन करने के उपरांत ही अग्रिम अथवा विडराल स्वीकृत करेंगे। अस्थायी अग्रिम/पार्ट फाइनल अग्रिम तथा अंतिम विडराल की स्वीकृति की प्रविष्टि पैप के सीपीएफ मॉड्यूल में संबंधित आंचलिक कार्यालयों/मुख्यालय द्वारा की जाएगी।
- (ii) आंचलिक कार्यालय द्वारा सीपीएफ मॉड्यूल में स्वीकृति की प्रविष्टि करने के उपरांत, आंचलिक कार्यालय की स्वीकृति की प्रति संबंधित यूनिट कार्यालयों को भिजवाएंगे। यूनिट कार्यालयों में स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर अस्थायी अग्रिमों तथा पार्ट फाइनल भुगतान के मामले में सीपीएफ मॉड्यूल से इनवॉयस का भुगतान जारी करेंगे। अंतिम भुगतान के मामले में अंतिम भुगतान की स्वीकृति के समय इनवॉयस आंचलिक कार्यालय से जारी किया जाएगा। इनवॉयस जारी करते समय पैप द्वारा निम्नानुसार एकाउंटिंग की जाएगी।
- (क) यूनिट कार्यालय के लिए- यूनिट कार्यालयों की इनवॉयस में निम्नानुसार एकाउंटिंग की जाए:-

यूनिट आईओसीपीएफ-अस्थायी अग्रिम/पार्ट फाइनल भुगतान/अंतिम भुगतान(लेखा शीर्ष 0942/0943/0944, आंचलिक कार्यालय के इंटरकंपनी सेगमेंट सहित) नामे

यूनिट देयता सीपीएफ/पार्ट फाइनल भुगतान/फाइनल भुगतान(लेखा शीर्ष 1552/1555/1554)

यूनिट कार्यालयों द्वारा सीपीएफ अग्रिम/पार्ट फाइनल भुगतान/अंतिम भुगतान की पेमेंट सीपीएफ मॉड्यूल द्वारा निकाली गई इनवाँयस से किया जाएगा।

(ख) आंचलिक कार्यालय के लिए- सिस्टम द्वारा जीएल मॉड्यूल में आईओसीपीएफ श्रेणी में जनरल एंट्री निम्नानुसार की जाएगी जिसमें कर्मचारी का ब्यौरा विवरण कॉलम में भरा जाएगा।

सीपीएफ अग्रिम/पार्ट फाइनल भुगतान/फाइनल भुगतान के लिए जोन की लायबिलिटी (लेखा शीर्ष 1552/1555/1554)

जोन आईओसीपीएफ-अस्थायी अग्रिम/पार्ट फाइनल भुगतान/फाइनल भुगतान/लेखा शीर्ष 0942/0943/0944) यूनिट कार्यालय के इंटरकापी सेगमेंट सहित

(iii) माह के अंत में आंचलिक कार्यालय द्वारा स्वीकृत किए गए अस्थायी अग्रिम/पार्ट फाइनल भुगतान तथा अंतिम भुगतान की एक सूची तैयार करेंगे जोकि "CPF List of sanctions" के माध्यम से निकाली जाएगी और यह सत्यापन करेंगे कि संबंधित कर्मचारियों की सभी भुगतान जारी कर दिए गए हैं। यदि यूनिट कार्यालयों द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है तो आंचलिक कार्यालय, मामले को यूनिट कार्यालयों के साथ उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी को भुगतान किया जा सके।

(iv) आंचलिक कार्यालय द्वारा स्वीकृत किए गए सीपीएफ के लिए मुख्यालय को आईओसीपीएफ भिजवाई जाएगी और इसके लिए जीएल मॉड्यूल में आईओसीपीएफ श्रेणी के लिए निम्नानुसार जनरल एंट्री पास की जाएगी:-

जोन आईओसीपीएफ- अस्थायी अग्रिम/पार्ट फाइनल भुगतान/अंतिम भुगतान(लेखा शीर्ष 0942/0943/0944) मुख्यालय के इंटरकंपनी सेगमेंट सहित, नामे

सीपीएफ अग्रिम/पार्ट फाइनल भुगतान/अंतिम भुगतान के लिए जोन की देयता (लेखा शीर्ष 1552/1555/1554)

(v) आंचलिक कार्यालय से मुख्यालय में आईओसीपीएफ की प्राप्ति पर मुख्यालय द्वारा उसका सत्यापन आंचलिक कार्यालय द्वारा की गई स्वीकृति के अनुसार किया जाएगा

और इस बारे में आईओसीपीएफ श्रेणी में जीएल माड्यूल में निम्नानुसार जनरल एंट्री पास की जाएगी:-

सीपीएफ अग्रिम/पार्ट फाइनल भुगतान/अंतिम भुगतान के लिए मुख्यालय की देयता (लेखा शीर्ष 1552/1555/1554) नामे

मुख्यालय आईओसीपीएफ- अस्थायी अग्रिम/ पार्ट फाइनल भुगतान/अंतिम भुगतान (लेखा शीर्ष 0942/0943/0944) आंचलिक कार्यालय के इंटरकंपनी सेगमेंट सहित ।

- (vi) मुख्यालय द्वारा भारतीय खाद्य निगम सीपीएफ ट्रस्ट से राशि प्राप्त करने के लिए रिसीवेबल माड्यूल में सभी इनवॉयस की एंट्री की जाएगी और लेखा शीर्ष 1552/1554/1555 राजस्व लेखा में सिलेक्ट किए जाएंगे ।

हस्ता./-

(आर.आर. अग्रवाल)

महाप्रबंधक (फैप)